भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 52/ 2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2020

सा° का°नि°............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं° 76/2018-केन्द्रीय कर , दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना में,–

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"तालिका

क्र°सं°	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग**	**कर अवधि**	**शर्त**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

	गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में, या संघ शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और नीकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप है	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 12 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 23 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 27 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्य में, या संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली में है	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 5 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 9 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 15 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 25 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 29 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्लिखित परंतुको को अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

" परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि मे देय विलंभ शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती है जिन्होने नियत तारीख तक माह जूलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है:

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंभ फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होने नियत तारीख तक माह जूलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है ।"।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना सं° 76/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं° 32/2020- केन्द्रीय कर दिनांक 3 अप्रैल, 2020 के द्वारा किया गया था जिस को सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।